छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)
प्रधान कार्यालय-व्ही.आई.पी.(एयरपोर्ट) रोड, ऊर्जा पार्क के पास, ग्राम-फुण्डहर रायपुर (छ.ग.)
डब्ल्यू.एल.एल.नं. 8370009915, पीआरआई नं. 0771-7112459 Website- http://creda.cgstate.gov.in

निविदा क्रमांक- 16466 /क्रेडा/सा.प्रशा./2018

छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर क्रेडा की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित सेवा शुल्क पर कार्यालयीन कर्मियों, उद्यान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों की प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिये जाने हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी का चयन

निविदाकर्ता इकाई का नाम व पता - ....

....

....

<u>निर्धारित सेवा शुल्क 9 प्रतिशत्</u>

निविदा प्रपत्र मूल्य ₹ 5000/-

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 06.10.2018 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक एवं समय : दिनांक 06.10.2018 को अपरान्ह 4.00 बजे

निविदा की शर्तें

1- छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर क्रेडा द्वारा संचालित परियोजनान्तर्गत निर्धारित सेवा शुल्क कार्यालयीन कर्मियों, उद्यान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों की प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिये जाने हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी का चयन किया जाना हैं। इस हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र तथा नियम व शर्तें क्रेडा की वेबसाईट (http://creda.cgstate.gov.in) में उपलब्ध हैं, जहाँ से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। तदनुसार पूर्ण रूप से भरे गये वे निविदा प्रपत्र ही मान्य किए जावेंगे, जिनके साथ निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 5000/- का "Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency" के नाम रायपुर में देय पे-ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र जमा करते समय संलग्न किया गया हो।

2- निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 12,00,000/- की धरोहर राशि पे-ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो "Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency" के नाम रायपुर में देय हो, के माध्यम से जमा करना होगा। धरोहर राशि के बिना जमा की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। बैंक ड्राफ्ट/धरोहर राशि जमा की रसीद व निविदा संबंधी अन्य दस्तावेज तथा नियम-शर्ते, बायो-डाटा, अनुभव प्रमाणपत्र, संस्था का पंजीकरण, जी.एस.टी. पंजीकरण, पैन नंबर, भविष्य निधि पंजीयन, ई.एस. आई.सी. पंजीयन, टर्न-ओव्हर आदि संबंधी दस्तावेजों पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाकर उक्त हस्ताक्षरित दस्तावेज मय धरोहर राशि के, एक सीलबंद लिफाफा नंबर-1 में रखे जाएंगे। दूसरे सीलबंद लिफाफा नंबर-2 में निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित सेवा शुल्क संबंधी दस्तावेज(Price schedule) को मुहरबन्द किया जाएगा। ये दोनों लिफाफे तीसरे बड़े लिफाफा नंबर-3 में रखे जाकर निविदाकार द्वारा मुहरबंद किया जाएगा। तीसरे लिफाफा नंबर-3 के ऊपर ''निविदा क्रमांक 16466/क्रेडा/सा.प्रशा/2018'' अंकित कर निर्धारित तिथि व समय के पूर्व क्रेडा के प्रधान कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में डालना होगा। केवल वही निविदा प्रस्ताव विचार में लिये जावेंगे, जो निविदा बॉक्स में डाले गये हों। कोरियर/ ई-मेल अथवा डाक से भेजे गये निविदा प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा। क्रेडा द्वारा निविदा की पावती देने हेतु किसी को अधिकृत नहीं किया गया है। निविदा में पात्र इकाईयों की धरोहर राशि एक माह तक रोकी जाएगी। अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने पर अनुबंधकर्ता की धरोहर राशि सुरक्षा निधि में परिवर्तित की जाएगी व शेष सभी धरोहर राशियाँ वापस की जाएंगी।

3- निविदायें सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 06.10.2018 को अपरान्ह 1.00 बजे तक ही जमा की जाएंगी तथा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे निविदायें खोली जावेंगी।

4- निविदाकार को कर्मियों की सेवायें शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में उपलब्ध कराने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।

5- इकाई का वार्षिक टर्नओव्हर विगत तीन वर्षो में न्यूनतम औसतन ₹ 5.00 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगा।

निरन्तर....

6- इकाई द्वारा शासकीय विभागों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में विगत तीन वर्षों में एक समय में न्यूनतम 150 कार्यालयीन कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों को नियोजित किया गया हो। इस हेतु भविष्य निधि में जमा किये गये चालान एवं ई.सी.आर. की अंतिम तीन माह की प्रतियाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही तीन वर्ष के टर्नओव्हर की पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7- उपरोक्त निविदा में केवल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये पंजीकृत इकाईयाँ/सुरक्षा एजेन्सियाँ ही भाग ले सकेंगी। सुरक्षा कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग का अनुज्ञप्ति लायसेंस (पसारा) होना अनिवार्य होगा।

8- इस निविदा कार्यवाही में वे इकाईयाँ भाग नहीं ले सकेंगी, जिन्हें क्रेडा द्वारा अयोग्य माना गया हो या जिन इकाईयों के अनुबंध क्रेडा द्वारा अनुबंध की शर्तों के पालन में विफल रहने या अनुबंध की शर्तों का परिपालन नहीं किये जाने के कारण निरस्त किये गये हों।

9- सेवा शुल्क हेतु निर्धारित दर 9 प्रतिशत् सुनिश्चित की गई है। निविदा के मूल्यांकन के आधार पर पात्र H_1 इकाई को निर्धारित सेवा शुल्क पर कार्य आबंटित किया जायेगा।

10- सफल निविदाकार द्वारा सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर ₹ 100/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्रेडा के साथ निविदा प्रपत्र में संलग्न प्रारूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करना होगा, अन्यथा उनकी निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जप्त की जाएगी।

11- उपरोक्त निविदा में पात्र H_1 इकाई को कार्य के आबंटन हेतु सर्वाधिकार क्रेडा के पास सुरक्षित होंगे तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12- नियोजित किए जाने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या संलग्न सूची अनुसार होगी, इसमें क्रेडा की आवश्यकतानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकेगी।

13- निविदाकार द्वारा क्रेडा की सहमति से एवं क्रेडा द्वारा प्लेसमेन्ट कर्मियों के चयन हेतु निर्धारित नीति के तहत् प्लेसमेन्ट कर्मियों की सेवायें क्रेडा की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। नियोजित किये जाने वाले कर्मियों के नाम की सूची, वर्तमान व स्थाई पता, जन्मतिथि, फोटोग्राफ, नियोजित कर्मियों के रुपए 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज वचनपत्र क्रेडा में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना होंगे। कोई कर्मी अक्षम पाये जाने पर उसकी सेवायें अनुबंधकर्ता प्लेसमेन्ट एजेन्सी को क्रेडा द्वारा तत्काल वापस की जाएंगी।

14- सफल निविदाकार कर्मियों से संबंधित समस्त वैधानिक देयताओं, जैसे-श्रम अधिनियम/ग्रेच्युटी/ई.एस.आई. /वर्कमेन कम्पंसेशन एक्ट/जी.एस.टी. आदि के लिए उत्तरदायी होंगे। प्लेसमेन्ट कर्मियों को देय वेतन की दरें क्रेडा द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों की सीमा से कम मान्य नहीं की जावेंगी।

15- प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा क्रेडा में प्लेसमेन्ट कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने के ऐवज में नियमानुसार वैधानिक देयतायें, जैसे-भविष्य निधि का नियोक्ता अंशदान, ई.एस.आई.सी. नियोक्ता अंशदान एवं जी. एस.टी. आदि क्रेडा की ओर से अनुबंधित ठेकेदार को लागू दरों के अनुसार देय होंगी।

16- इकाई द्वारा क्रेडा को उपलब्ध कराए कर्मियों को क्रेडा में उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा।

......निरन्तर....

17-(क)(i) क्रेडा में नियोजित प्लेसमेन्ट कर्मियों की उपस्थिति एवं क्रेडा के कार्य से की गई यात्राओं का विवरण क्रेडा द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक का विवरण प्लेसमेन्ट एजेन्सी को उपलब्ध कराया जावेगा, जिसके आधार पर प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा क्रेडा में नियोजित कर्मियों का क्रेडा द्वारा अनुमोदित दर पर वेतन आगामी माह के 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। क्रेडा द्वारा प्लेसमेन्ट कर्मियों को पारिश्रमिक या यात्रा व्ययों की राशि का सीधे भुगतान नहीं किया जावेगा और न ही कोई अग्रिम दिया जावेगा। कर्मियों को भुगतान करने के पश्चात् प्रमाणित जानकारी सहित देयक क्रेडा के प्रधान कार्यालय में 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। क्रेडा द्वारा देयकों के परीक्षण उपरान्त उनको नियमानुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पिछले माह की यह जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आगामी माह के भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ii) क्रेडा में नियोजित कर्मियों के भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार निर्धारित वेतन की अधिकतम सीमा पर देय नियोक्ता अंशदान, ई.डी.एल.आई., प्रशासकीय प्रभार तथा ई.एस.आई. के भुगतान हेतु नियमानुसार प्रतिमाह देयक के साथ कर्मियों की सम्पूर्ण सूची एवं ई.सी.आर., जमा किये गये चालानों की प्रतियां ठेकेदार द्वारा क्रेडा के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगीं, जिसके आधार पर भविष्य निधि हेतु कर्मी तथा नियोक्ता का अंशदान एवं प्रशासकीय व्ययों तथा ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति चैक/ऑनलाईन पेमेन्ट के माध्यम से क्रेडा द्वारा ठेकेदार को की जायेगी।

(iii) नियोजित कर्मियों को क्रेडा के कार्यो से स्वयं के वाहन से अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन से की गई यात्राओं तथा यात्रा भत्तों के लिये क्रेडा द्वारा निर्धारित दरों पर ठेकेदार की ओर से भुगतान किया जाएगा, क्रेडा में प्लेसमेन्ट कर्मी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत प्लेसमेन्ट कर्मी को भुगतान कर क्रेडा से प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान के प्रमाणक की छायाप्रति सहित देयक प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) कर्मियों की उपस्थिति के आधार पर क्रेडा द्वारा ठेकेदार को सेवा शुल्क मय प्रचलित दरों पर जी.एस.टी. के, यदि लागू हो, भुगतान किया जायेगा। ऐसे भुगतान में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाकर आयकर विभाग में जमा किया जायेगा, तथा जी.एस.टी. में पंजीकरण नहीं होने की दशा में जी.एस.टी. का भुगतान देय नहीं होगा। प्रतिमाह जी.एस.टी. के चालान की प्रति क्रेडा को प्रस्तुत की जानी होगी।

18- सुरक्षा कर्मियों को उचित गुणवत्ता की सम्पूर्ण वर्दी (04 सेट वर्दी एवं मोजे, दो सेट स्वेटर, एक-एक सेट प्लास्टिक/केन डंडा, सीटी, बेल्ट, बरसाती, गमबूट, जूता आदि) एवं टार्च उपलब्ध कराने का पूरा दायित्व ठेकेदार का होगा, अतः निविदाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि उनके दर प्रस्ताव में सम्पूर्ण वर्दी एवं टार्च का प्रावधान सम्मिलित हो। इसके लिये पृथक से कोई राशि प्लेसमेन्ट एजेन्सी को देय नहीं होगी।

19- इकाई द्वारा दी जा रही सेवाओं के संतोषजनक नहीं होने या अनुबंध की किसी धारा के उल्लंघन करने पर क्रेडा को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को पूर्णतः या अंशतः निरस्त कर सकेगा तथा सुरक्षा निधि की राशि को राजसात कर सकेगा।

20- बिना किसी कारण बताये निविदा को पूर्णतः/अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने एवं निविदा की किसी भी शर्त को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार क्रेडा को होगा।

21- सभी स्थितियों में शब्दों की परिभाषाओं संबंधी क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय निविदाकार के लिये अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

23- छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर क्रेडा द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यालयीन कर्मियों, उद्यान कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों के नियोजन हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से जो कर्मी नियोजित किए जावेंगे, उन प्लेसमेन्ट कर्मियों को निम्नानुसार आवश्यक योग्यताधारक होना अनिवार्य होगा:-

क्र.	**जिस पद के कार्य हेतु प्लेसमेन्ट कर्मी की सेवायें ली जावेंगी**	**संबंधित पद के कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले प्लेसमेन्ट कर्मियों हेतु आवश्यक योग्यता**
1.	सहायक अभियन्ता	इंजीनियरिंग में डिग्री धारक
2.	उप अभियन्ता	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	12वीं कक्षा उत्तीर्ण, बी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. एवं अनुभवी
4.	लेखा सहायक	बी.कॉम., लेखा कार्य का न्यूनतम 03 वर्षीय अनुभवधारक
5.	स्टेनोग्राफर	12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं 100शब्द प्रति मिनिट की गति से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण
6.	कनिष्ठ सहायक	12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का न्यूनतम एकवर्षीय डिप्लोमाधारक
7.	मैकेनिक/इलेक्ट्रिशियन	आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण
8.	वाहन चालक	आठवीं उत्तीर्ण तथा व्यावसायिक ड्रायविंग लायसेंस धारक
9.	हेल्पर/भृत्य/चौकीदार/सुरक्षा कर्मी/ प्रदर्शक/माली/सफाईकर्मी	प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण

क्रेडा के कार्यो मे पूर्व अनुभव प्राप्त कर्मियों को प्राथमिकता दी जानी होगी। ऐसे कर्मियों से किसी प्रकार का पंजीकरण अथवा अन्य शुल्क प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा।

अनुसूची-2

(जो अनुबंध दिनांक .... का अभिन्न अंग है)

अनुबंध की सामान्य शर्तें

1- निबंधन की परिभाषा :-

अनुबंध की सामान्य शर्तो में उपयोगित शब्द, जिन्हें इस दस्तावेज में अन्यथा परिभाषित नहीं किये गये हों ऐसे शब्दों का अभिप्राय उनके सामान्यत: प्रयोग किये जाने पर लिये जाने वाले आशय से है।

''क्रेडा'' से तात्पर्य ''छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण'' से है।

''ठेकेदार'' से तात्पर्य सफल निविदाकार से है, जिसे क्रेडा द्वारा निविदा हेतु उपयुक्त पाया गया हो तथा जिसके साथ क्रेडा द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया हो।

''माह'' से तात्पर्य कैलेण्डर माह से होगा।

2- अनुबंध दस्तावेज :-

अनुबंध दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में अनुबंध, निविदा दस्तावेज, निविदा शर्ते तथा निविदा आमंत्रण सूचना की शर्ते, अनुबंध की सामान्य शर्ते सम्मिलित मानी जायेंगी। निबंधन तथा शर्तो में स्पष्टत: नहीं दी गई शर्ते इण्डियन कान्ट्रेक्ट एक्ट के अनुसार लागू रहेंगी।

3- ठेकेदार के उत्तरदायित्व :-

(क) यदि क्रेडा के अभिमत में ठेकेदार दिये हुए कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने में विफल रहता है तो क्रेडा द्वारा ठेकेदार को एक माह की लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(ख) यदि क्रेडा के अभिमत में ठेकेदार अनुबंध की किसी शर्त को या किसी विधि-विधान का परिपालन करने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में अनुबंध क्रेडा द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

(ग) सुरक्षा कर्मियों को सम्पूर्ण वर्दी व सहायक सामग्री उपलब्ध कराने का पूरा दायित्व ठेकेदार का होगा,

(घ) अनुबंध की वैधता अवधि को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया भी जा सकेगा।

4- कर्मी की निर्योग्यता :-

यदि क्रेडा के अभिमत में कर्मी योग्य न पाया जाये, तो क्रेडा द्वारा कर्मी की सेवायें ठेकेदार को वापस की जा सकेंगी तथा उसके ऐवज में ठेकेदार द्वारा अन्य योग्य कर्मी तत्काल क्रेडा को उपलब्ध कराना होगा।

5- भुगतान की शर्तें :- क्रेडा द्वारा इस निविदा के तहत् निम्नानुसार प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा :-

(क)(i) क्रेडा में नियोजित प्लेसमेन्ट कर्मियों की उपस्थिति एवं क्रेडा के कार्य से की गई यात्राओं का विवरण क्रेडा द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक का विवरण प्लेसमेन्ट एजेन्सी को उपलब्ध कराया जावेगा, जिसके आधार पर प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा क्रेडा में नियोजित कर्मियों का क्रेडा द्वारा अनुमोदित दर पर वेतन आगामी माह के 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। क्रेडा द्वारा प्लेसमेन्ट कर्मियों को पारिश्रमिक या यात्रा व्ययों की राशि का सीधे भुगतान नहीं किया जावेगा और न ही कोई अग्रिम दिया जावेगा। कर्मियों को भुगतान करने के पश्चात् प्रमाणित जानकारी सहित देयक क्रेडा के प्रधान कार्यालय में 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। क्रेडा द्वारा देयकों के परीक्षण उपरान्त उनको नियमानुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पिछले माह की यह जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आगामी माह के भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

......निरन्तर....

(ii) क्रेडा में नियोजित कर्मियों के भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार निर्धारित वेतन की अधिकतम सीमा पर देय नियोक्ता अंशदान, ई.डी.एल.आई., प्रशासकीय प्रभार तथा ई.एस.आई. के भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा नियमानुसार प्रतिमाह देयक के साथ कर्मियों की सम्पूर्ण सूची एवं ई.सी.आर., जमा किये गये चालानों की प्रति क्रेडा के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर भविष्य निधि हेतु कर्मी तथा नियोक्ता का अंशदान एवं प्रशासकीय व्ययों तथा ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति चैक के माध्यम से क्रेडा द्वारा ठेकेदार को किया जायेगा।

(iii) नियोजित कर्मियों को क्रेडा के कार्यो से स्वयं के वाहन से अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन से की गई यात्राओं तथा यात्रा भत्तों के लिये क्रेडा द्वारा निर्धारित दरों पर ठेकेदार की ओर से भुगतान किया जाएगा, क्रेडा में प्लेसमेन्ट कर्मी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत प्लेसमेन्ट कर्मी को भुगतान कर क्रेडा से प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान के प्रमाणक की छायाप्रति सहित देयक प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) कर्मियों की उपस्थिति के आधार पर क्रेडा द्वारा ठेकेदार को निर्धारित सेवा शुल्क मय प्रचलित दरों पर जी.एस.टी. के, यदि लागू हो, भुगतान किया जायेगा। ऐसे भुगतान में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाकर आयकर विभाग में जमा किया जायेगा, तथा जी.एस.टी. में पंजीकरण नहीं होने की दशा में जी.एस.टी. का भुगतान देय नहीं होगा। प्रतिमाह जी.एस.टी. के चालान की प्रति क्रेडा को प्रस्तुत की जानी होगी।

6- प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा क्रेडा में प्लेसमेन्ट कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने के ऐवज में नियमानुसार वैधानिक देयतायें, जैसे-भविष्य निधि का नियोक्ता अंशदान, ई.एस.आई.सी. नियोक्ता अंशदान एवं जी. एस.टी. आदि क्रेडा की ओर से अनुबंधित ठेकेदार को लागू दरों के अनुसार देय होंगी।

7- प्लेसमेन्ट कर्मियों हेतु आवश्यक योग्यतायें :-

छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर क्रेडा द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनांतर्गत कार्यालयीन कर्मियों, उद्यान कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों के नियोजन हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले प्लेसमेन्ट कर्मियों को निम्नानुसार आवश्यक योग्यताधारक होना अनिवार्य होगा :-

क्र.	**जिस पद के कार्य हेतु प्लेसमेन्ट कर्मी की सेवायें ली जावेंगी**	**संबंधित पद के कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले प्लेसमेन्ट कर्मियों हेतु आवश्यक योग्यता**
1.	सहायक अभियन्ता	इंजीनियरिंग में डिग्री धारक
2.	उप अभियन्ता	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	12वीं कक्षा उत्तीर्ण, बी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. एवं अनुभवी
4.	लेखा सहायक	बी.कॉम., लेखा कार्य का न्यूनतम 03 वर्षीय अनुभवधारक
5.	स्टेनोग्राफर	12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं 100शब्द प्रति मिनिट की गति से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण
6.	कनिष्ठ सहायक	12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का न्यूनतम एकवर्षीय डिप्लोमाधारक
7.	मैकेनिक/इलेक्ट्रिशियन	आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण
8.	वाहन चालक	आठवीं उत्तीर्ण तथा व्यावसायिक ड्रायविंग लायसेंस धारक
9.	हेल्पर/भृत्य/चौकीदार/सुरक्षा कर्मी/ प्रदर्शक/माली/सफाईकर्मी	प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण

क्रेडा के कार्यो मे पूर्व अनुभव प्राप्त कर्मियों को प्राथमिकता दी जानी होगी। ऐसे कर्मियों से किसी प्रकार का पंजीकरण अथवा अन्य शुल्क प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)

प्रधान कार्यालय-व्ही.आई.पी. (एयरपोर्ट) रोड, ऊर्जा पार्क के पास, ग्राम-फुण्डहर रायपुर (छ.ग.)

डब्ल्यू.एल.एल.नं. 8370009915, पीआरआई नं. 0771-7112459 Website- http:creda.cgstate.gov.in

निविदा क्रमांक 16466/क्रेडा/सा.प्रशा./2018

छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर क्रेडा की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित सेवा शुल्क पर कार्यालयीन कर्मियों, उद्यान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों की प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिये जाने हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी का चयन

(निविदाकार द्वारा भरी जावे)

प्राईज शेड्यूल		
क्र.	क्रेडा द्वारा देय राशि	
1	नियोजित कर्मियों को इकाई द्वारा भुगतान	क्रेडा द्वारा निर्धारित नियमानुसार
2	निर्धारित सेवा शुल्क का प्रतिशत्	9 प्रतिशत्

जी.एस.टी. का भुगतान तद्समय प्रचालित दर पर यदि लागू हो तो पृथक से किया जायेगा।

स्थान-

दिनांक- निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

निविदाकार के संबंध में व्यावसायिक जानकारी

(जो लागू न हो उसे काट दें, अतिरिक्त जानकारी के लिए यदि आवश्यक हो तो पृथक से जानकारी संलग्न करें)

1- निविदाकार का नाम एवं पता- ....
....

2- i) धरोहर राशि का विवरण- क्रेडा के नाम देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक क्र................ दिनांक............... बैंक का नाम................

ii) राशि- रुपए ....

3- निविदत्त दरों की वैधता निविदा खोलने के पश्चात् 45 दिनों के लिये- मान्य/अमान्य

4- क्रेडा द्वारा दी गई भुगतान शर्तें- मान्य/अमान्य

5- पेन नंबर (छायाप्रति संलग्न की जाए)- ....

6- आधार नंबर (छायाप्रति संलग्न की जाए) ....

7- जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर (छायाप्रति संलग्न की जाए) ....

8- भविष्य निधि का स्थापना कोड ....

9- निविदाकार का दूरभाष नम्बर- (स्वयं का) ....
(कार्यालय का) ....

10- फैक्स नम्बर (यदि हो तो)- ....

11- वेबसाईट (यदि हो तो)- ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

<u>अनुबंध</u>

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर क्रेडा द्वारा संचालित परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित सेवा शुल्क कार्यालयीन कर्मियों, उद्यान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों की सेवायें लिये जाने हेतु प्लेसमेंट इकाई के चयन बाबत् निविदा क्रमांक 16466/क्रेडा/सा.प्रशा./2018 आमंत्रित की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्लेसमेन्ट एजेन्सी मेसर्स .... द्वारा अपना प्रस्ताव क्रेडा को प्रस्तुत किया गया। क्रेडा द्वारा उक्त प्रस्ताव योग्य पाया गया तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। निविदा शर्तो के अनुसार ठेकेदार इकाई व क्रेडा के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है, अतः यह अनुबंध आज दिनांक .... को मेसर्स .... (जिसे अनुबंध पत्र में आगे ''ठेकेदार'' कहा गया है तथा इस संबोधन में उनके उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं) जिसके लिये एक ओर श्री .... निवासी .... के द्वारा यह पत्रक हस्ताक्षरित किया गया है,

तथा

दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), व्ही.आई.पी. (एयरपोर्ट) रोड, ऊर्जा पार्क के पास, ग्राम-फुण्डहर, पोस्ट देवपुरी रायपुर (जिसे अनुबंध पत्र में आगे ''क्रेडा'' कहा गया है, तथा इस संबोधन में उनके उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं) जिसके लिये क्रेडा की ओर से श्री .... के द्वारा यह पत्रक हस्ताक्षरित किया गया है, के बीच निम्न शर्तो पर अनुबंध किया गया है:-

1- यह कि ठेकेदार द्वारा क्रेडा को योग्य कर्मियों, जिन्हें इस अनुबंध में आगे ''प्लेसमेन्ट कर्मी'' कहा जाएगा, की सेवायें क्रेडा की आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिये जाने व उसके ऐवज में निविदा क्रमांक 16466/क्रेडा/सा.प्रशा./2018 के समस्त नियम एवं शर्तो, जो अनुसूची-2 में वर्णित हैं तथा इस अनुबंध का अभिन्न अंग है, के अधीन प्लेसमेन्ट कर्मियों की उपस्थिति के आधार पर मासिक पारिश्रमिक की दरें तथा उसके 9 प्रतिशत की दर से निर्धारित सेवा शुल्क प्रदाय किया जायेगा तथा

2- यह कि क्रेडा द्वारा प्लेसमेन्ट कर्मियों के सन्तोषजनक कार्य करने के ऐवज में एवं उनकी उपस्थिति के आधार पर पारिश्रमिक का प्रतिमाह भुगतान ठेकेदार द्वारा सीधे प्लेसमेन्ट कर्मियों को किया जावेगा, तथा

3- यह कि ठेकेदार द्वारा क्रेडा में पदस्थ किये गये प्लेसमेन्ट कर्मियों की सूची उपलब्ध करानी होगी, तथा ऐसे सभी प्लेसमेन्ट कर्मी क्रेडा के अधीन संबंधित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे, तथा

4- यह कि ठेकेदार के देयकों से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जावेगी, तथा

5- यह कि इस अनुबंध के हस्ताक्षर करने की तिथि से ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि सुरक्षा निधि में परिवर्तित की जाएगी, तथा

......**निरन्तर....**

6- यह कि प्लेसमेन्ट कर्मी के आधिपत्य में उपलब्ध समस्त सामग्री की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा, यदि प्लेसमेन्ट कर्मी के आधिपत्य की कोई सामग्री चोरी होती है, तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा व क्रेडा को हुई हानि की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भी ठेकेदार का होगा, ऐसी हानि की प्रतिपूर्ति आगमगत कटौती की तरह ठेकेदार के किसी भी संपत्ति/देयकों/सुरक्षा निधि में से की जायेगी, तथा

7- यह कि ठेकेदार द्वारा प्लेसमेन्ट कर्मियों की सेवायें क्रेडा में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्धारित नीति अनुसार संबंधित प्लेसमेन्ट कर्मी से रुपए 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज लिखित वचन पत्र प्राप्त कर क्रेडा में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, तथा

8- यह कि कार्य हेतु नियोजित प्लेसमेन्ट कर्मियों से संबंधित समस्त वैधानिक देयताओं, जैसे-श्रम अधिनियम/ ग्रेच्युटी, ई.एस.आई., वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट/जी.एस.टी. आदि के भुगतान हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, तथा

9- यह कि न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा नियोजन से संबंधित सभी नियमों/संहिताओं/अधिनियमों के परिपालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा, तथा

10-यह कि प्लेसमेन्ट कर्मी द्वारा कार्य में लापरवाही परिलक्षित होने पर या प्लेसमेन्ट कर्मी की अनुपस्थिति की दशा में क्रेडा द्वारा चाहे जाने पर ठेकेदार द्वारा प्लेसमेन्ट कर्मी को तत्काल बदला जायेगा या ठेकेदार द्वारा तत्काल अन्य प्लेसमेन्ट कर्मी की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा नहीं करने की दशा में कार्य आदेश/अनुबंध निरस्त कर उक्त कार्य अन्य योग्य व्यक्ति/संस्था को सौंपने का अधिकार क्रेडा को होगा, तथा

11- अनुबंध हस्ताक्षरित हो जाने पर क्रेडा द्वारा इकाई को समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्लेसमेन्ट कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यादेश जारी किये जाएंगे एवं ठेकेदार द्वारा तत्काल प्लेसमेन्ट कर्मी की व्यवस्था कर क्रेडा को सूचित किया जाएगा, तथा

12- यह कि क्रेडा द्वारा इस अनुबंध के तहत् निम्नानुसार प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा :-

(क) (i) क्रेडा में नियोजित प्लेसमेन्ट कर्मियों की उपस्थिति एवं क्रेडा के कार्य से की गई यात्राओं का विवरण क्रेडा द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक का विवरण प्लेसमेन्ट एजेन्सी को उपलब्ध कराया जावेगा, जिसके आधार पर प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा क्रेडा में नियोजित कर्मियों का क्रेडा द्वारा अनुमोदित दर पर वेतन आगामी माह के 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। क्रेडा द्वारा प्लेसमेन्ट कर्मियों को पारिश्रमिक या यात्रा व्ययों की राशि का सीधे भुगतान नहीं किया जावेगा और न ही कोई अग्रिम दिया जावेगा। कर्मियों को भुगतान करने के पश्चात् प्रमाणित जानकारी सहित देयक क्रेडा के प्रधान कार्यालय में 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। क्रेडा द्वारा देयकों के परीक्षण उपरान्त उनको नियमानुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पिछले माह की यह जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आगामी माह के भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ii) क्रेडा में नियोजित कर्मियों के भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार निर्धारित वेतन की अधिकतम सीमा पर देय नियोक्ता अंशदान, ई.डी.एल.आई., प्रशासकीय प्रभार तथा ई.एस.आई. के भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा नियमानुसार प्रतिमाह देयक के साथ कर्मियों की सम्पूर्ण सूची एवं ई.सी.आर., जमा किये गये चालानों की प्रति क्रेडा के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर भविष्य निधि हेतु कर्मी तथा नियोक्ता का अंशदान एवं प्रशासकीय व्ययों तथा ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति चैक के माध्यम से क्रेडा द्वारा ठेकेदार को किया जायेगा।

(iii) नियोजित कर्मियों को क्रेडा के कार्यो से स्वयं के वाहन से अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन से की गई यात्राओं तथा यात्रा भत्तों के लिये क्रेडा द्वारा निर्धारित दरों पर ठेकेदार की ओर से भुगतान किया जाएगा, क्रेडा में प्लेसमेन्ट कर्मी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत प्लेसमेन्ट कर्मी को भुगतान कर क्रेडा से प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान के प्रमाणक की छायाप्रति सहित देयक प्रस्तुत किया जाएगा।

......निरन्तर....

(ख) कर्मियों की उपस्थिति के आधार पर क्रेडा द्वारा ठेकेदार को निर्धारित सेवा शुल्क मय प्रचलित दरों पर जी.एस.टी. के, यदि लागू हो, भुगतान किया जायेगा। ऐसे भुगतान में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाकर आयकर विभाग में जमा किया जायेगा, तथा जी.एस.टी. में पंजीकरण नहीं होने की दशा में जी.एस.टी. का भुगतान देय नहीं होगा। प्रतिमाह जी.एस.टी. के चालान की प्रति क्रेडा को प्रस्तुत की जानी होगी।

(ग) सुरक्षा कर्मियों को सम्पूर्ण वर्दी एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने का पूरा दायित्व ठेकेदार का होगा,

13. यह कि निविदा की सभी शर्तें लागू रहेंगी, तथा

14. यह अनुबंध हस्ताक्षरित होने के आगामी तीन वर्ष तक वैध रहेगा, कार्य सन्तोषप्रद होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा, किन्तु आवश्यकतानुसार प्लेसमेन्ट कर्मी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण या इस अनुबंध की शर्तो का पालन नहीं किये जाने की दशा में इस अनुबंध को अनुबंध अवधि की समाप्ति के पूर्व भी निरस्त किया जा सकेगा, तथा

15. यह कि भले ही इस अनुबंध में कोई भी शर्त हो, यह अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना देकर निरस्त किया जा सकेगा, तथा

16. सभी परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, तथा

17. समस्त विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर रहेगा।

यह अनुबंध आज दिनांक .... को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

गवाह:-

ठेकेदार- ....

1. ....
....

वास्ते- ....
सील-

2. ....
....
....

क्रेडा- ....

वास्ते- छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), रायपुर

<u>निविदा प्रपत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज</u>

1. कार्यालयीन कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने हेतु पंजीयन।
2. भविष्य निधि में पंजीयन।
3. अंतिम तीन माह के भविष्य निधि के पैड चालान एवं ई.सी.आर.।
4. किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित अंतिम तीन वर्ष की टर्न-ओव्हर रिपोर्ट, जिसमें विगत तीन वर्ष में औसत न्यूनतम टर्नओव्हर ₹ 5.00 करोड़ या इससे अधिक रहा हो।
5. न्यूनतम 05 वर्ष का कार्यानुभव तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में एक समय में न्यूनतम 150 कार्यालयीन कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराने का अनुभव हो, इससे संबंधित कार्यादेश/प्रमाणपत्र।
6. पैन नंबर की कॉपी।
7. आधार कार्ड की कॉपी।
8. जी.एस.टी. पंजीयन की कॉपी।
9. प्लेसमेन्ट एजेन्सी के नाम बैंक खाता पासबुक की कॉपी।
10. सुरक्षा कर्मी के मामले में पुलिस विभाग की अनुज्ञप्ति लायसेंस (पसारा) की प्रति।

क्रेडा में नियोजित किये जाने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या

क्र.	जिला	नियोजित किये जाने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या
1	रायपुर	145
2	बलौदाबाजार	6
3	गरियाबन्द	6
4	महासमुन्द	5
5	बिलासपुर	36
6	कोरबा	5
7	मुंगेली	6
8	बस्तर	21
9	कोण्डागांव	5
10	सुकमा	5
11	नारायणपुर	4
12	बीजापुर	10
13	दन्तेवाड़ा	8
14	सरगुजा	12
15	कोरिया	5
16	बलरामपुर	4
17	सूरजपुर	5
18	राजनांदगांव	26
19	कबीरधाम	11
20	दुर्ग	9
21	बेमेतरा	5
22	धमतरी	17
23	कांकेर	6
24	बालोद	6
25	रायगढ़	13
26	जांजगीर–चाम्पा	13
27	जशपुर	6
योग–		**400**

निविदा का मूल्यांकन:

क्रेडा को निविदा पेटी में प्राप्त समस्त निविदायें निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधिओं के समक्ष नियत तिथि व समय पर निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। जो निविदायें सील्ड नहीं पाई जायेगी उन्हें नहीं खोला जायेगा तथा निरस्तीकरण योग्य होगी। सर्वप्रथम तकनीकी/ Performance बिड खोली जायेगी तथा ई.एम.डी. व डाक्यूमेंट फीस जमा होने की पुष्टि की जायेगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज निविदा दस्तावेज सहित हस्ताक्षर किये हुए होने चाहिए। यदि निविदा समिति द्वारा कोई Clarification चाहे तो निविदा कर्ता को तुरन्त Clarification देना होगा। निविदाकर्ताओं की Ranking उन्हें प्राप्त मूल्यांकन मार्क्स के आधार पर की जायेगी। निविदा समिति द्वारा मूल्यांकन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा।

सरल क्र.	विवरण	दस्तावेज	अधिकतम अंक
1	इकाई का औसतन टर्नओवर विगत 03 सालों में 05 to 10 cr.-5 marks 10+ Cr to 15 Cr.-6 marks 15+ Cr to 20 Cr.-7 marks 20+ Cr to 25 Cr.-6 marks 25+ Cr to 30 Cr.-9 marks 30+ Cr.-10 marks	सी.ए. बैलेंस सीट की प्रति	10
2	लेबर लायसेंस न्यूनतम 150-5 अंक 250 or more-7 marks 400 or more-10 marks	लेबर लायसेंस की छायाप्रति	10
3	No. of employees of EPF as on 31.01.2018 Up to500=5 marks 1000-2000=7 marks 2000-3000=10 marks	एच.आर.प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित	5
4	इकाई का छत्तीसगढ़ अंतर्गत शासकीय/अर्धशासकीय विभागो अथवा संस्था में मानव संसाधन प्रदाय अथवा समान्य कार्य में अनुभव 500 manpower-10 marks 1000 manpower-20 marks 2000 manpower-30 marks 3000 manpower-35 marks	कार्यदिद्दा तथा कार्य पूर्णत: का प्रमाण पत्र	35
5	छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय/अर्धशासकीय विभागो अथवा संस्था में समान्य प्रकृति के कार्य हेतु अनुभव न्यूनतम 5yrs-10 marks 10yrs or more-20 marks 12yrs or more-35 marks	कार्यदेश अथवा अनुबंध की छायाप्रति	35
6	सुरक्षा कर्मी के मामले में पुलिस विभाग की अनुज्ञप्ति लायसेंस (पसारा) की प्रति		5

उक्त मूल्यांकन में 50 तथा 50 से अधिक अंक पाने वाली इकाई ही पात्र होगी। अत: पात्र अधिकतम अंक वाली इकाई को क्रेडा द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क पर कार्य आंबटित किया जायेगा।